न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 07 / 2024

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

प्रार्थी	विप्रार्थीगण
लालाराम पुत्र आम्बाराम जाति कुम्हार निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा	1. बगदाराम पुत्र खुबाराम 2. झमूदेवी पत्नि मोडाराम 3. देवाराम पुत्र मोडाराम 4. मोहनलाल पुत्र मोडाराम 5. भंवरलाल पुत्र आम्बाराम 6. मंगलाराम पुत्र आम्बाराम जातियान कुम्हार निवासी महादेव नगर, तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 7. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिणधरी 8. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थी सं. 1 सें 07 एकतरफा।
3. विप्रार्थी सं. 08 के पैरोकार सरकार उप0।

निर्णय

दिनांक– 17.10.2024

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थीगण श्री जोगराज पोटलिया द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो [illegible] आवेदन दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी [illegible] तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान का[illegible]री अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि पक्षकारान की संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम महादेव नगर तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 170 रकबा 1.5776 हैक्टयर व मौजा सजाड़ा के खसरा नम्बर 310 रकबा 1.0355 हैक्टयर भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
[illegible] सिणधरी

अवस्थित है। जिसमें पक्षकारान के हिस्से खुले हुए है, लेकिन भूमि सामलाती होने के कारण विप्रार्थीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त भूमि में आये दिन कब्जा करने की कोशिश की जाती रहती है। कि वर्तमान में भूमि की कीमतों की भूमि में वृद्धि होने के कारण विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 वादग्रस्त भूमि का बेचान अजनबी क्रेता को करने पर प्रयासरत है जबकि भूमि का विधिवत रूप से बंटवाडा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि पर प्रत्येक पक्षकार का प्रत्येक ईंच पर समान हक व हिस्सा होता है, इसलिए विभाजन से पूर्व विप्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जा–काश्त की भूमि का बेचान करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 संयुक्त भूमि का भूमि उपजाऊपन व किस्म के अनुसार बंटवाडा न करवाकर स्वयं अच्छी किस्म की भूमि रखना चाहते है इसलिये प्रार्थी के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में मौखिक बटवाडे अनुसार कायम सेढे को तोड़कर प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 मौके की स्थिति भारी रद्दोबदल करने पर आमादा है। यदि विप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 ने प्रार्थी द्वारा अपनी वर्षों की मेहनत से उपजाऊ बनाई गई भूमि बेचान कर प्रार्थी के हिस्से की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बेंदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। कि सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थी वादग्रस्त आराजी पैतृक सम्पती है तथा प्रार्थी भूमि के रेकर्डेड खातेदार है जिनकी संयुक्त खातेदारी उन्हें पैतृक सम्पति के रूप में प्राप्त हुई है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त लगातार निर्बाध रूप से चला आ रहा है। लेकिन विप्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी का बिना विधिवत बंटवाडा करवाये प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि का बेचान अन्यत्र कर प्रार्थी को उसके हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि से बेंदखल करने के लिये प्रयासरत है। ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण को जरिये स्थगन पाबन्द किया जावें कि वे प्रार्थी के कब्जा काश्त में किसी प्रकार का कब्जा अथवा हस्तांतरण इत्यादि नही कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व संलग्न राजस्व रेकर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया गया। जिसमे पाया कि ग्राम महादेव नगर तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 170 रकबा 1.5776 हैक्टयर व मौजा सजाड़ा के खसरा नम्बर 310 रकबा 1.0355 हैक्टयर भूमि के प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण रिकार्डड सहखातेदारान है, जिसमें पक्षकारान के हिस्से खुले [illegible] है, [illegible] संलग्न जमाबंदी संवत 2076 के अवलोकन से साबित है। लेकिन भूमि सामलाती होने [illegible] कारण यदि दौराने विचारण वाद विवादित भूमि के कब्जे इत्यादि को लेकर मौके की स्थिति [illegible] कोई फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना रहती है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। एवं प्रस्तुत रेकर्ड व वकील प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यो के आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

प्रथम द्रष्यता प्रकरण में सुविधा का संतुलन प्रार्थी का बनना प्रतीत होता हैं अतःप्रथम द्रष्यता प्रकरण मे स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी संख्या 01 से 06 को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम महादेव नगर तहसील सिणधरी की खसरा सख्या 170 रकबा 1.5776 हैक्टयर व मौजा सजाड़ा के खसरा नम्बर 310 रकबा 1.0355 हैक्टयर के प्रार्थी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, बेचान अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(जगदीशसिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 17.10.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:29:53 IST
Reason: SelfAttested